न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

अपील संख्या 169/2007/75 एलआर एक्ट

1. गुरमुखसिंह पुत्र जीतसिंह जाति बावरी निवासी चक 1 एलजीडब्ल्यू तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2. उजागरसिंह पुत्र जीतसिंह जाति बावरी निवासी चक 1 एलजीडब्ल्यू तहसील व जिला हनुमानगढ़।

—अपीलांट

—: बनाम :—

1. जगरसिंह पुत्र करतारसिंह जाति बावरी निवासी चक 1 एलजीडब्ल्यू तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2. मघरसिंह पुत्र करतार सिंह जाति बावरी निवासी चक 1 एलजीडब्ल्यू तहसील व जिला हनुमानगढ़।
3. बिरमासिंह पुत्र वजीरसिंह जाति बावरी निवासी चक 1 एलजीडब्ल्यू तहसील व जिला हनुमानगढ़।
4. वैशाखासिंह पुत्र वजीरसिंह जाति बावरी निवासी चक 1 एलजीडब्ल्यू तहसील व जिला हनुमानगढ़।
5. अमरो पत्नि बलवीर पुत्र गरिबूदास जाति बावरी निवासी नयालसो की बंगी तहसील व जिला भटिण्डा पंजाब।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ़ जिला हनुमानगढ़।

—— रेस्पोडेंटस

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 17.02.2007 न्यायालय उपखण्डाधिकारी हनुमानगढ़

प्रकरण संख्या 116/2005 अनवानी गुरमुखसिह आदि बनाम जगरसिंह आदि

उपस्थित :—

श्री देवीलाल भांभू अधिवक्ता अपीलाण्ट

श्री रमेश कुमार वर्मा अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1 व 2

श्री ओमप्रकाश मोदी अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 3 व 4

श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 6

निर्णय दिनांक —05.01.2018

1. प्रकरण में तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक अपनी कृषि भूमि मे आवागमन हेतु रास्ता की आवश्यकता प्रकट करते हुए प्रार्थना पत्र पेश किया जिसमे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट का प्रार्थना पत्र बाबत रास्ता स्वीकृति खारिज कर दिया गया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है जो दिनांक

29.09.2015 को स्वीकार की गई परन्तु रेस्पो0 सं. 3 द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 21 व आदेश 9 नियम 13 सीपीसी पेश होने पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय दिनांक 29.09.2015 को निरस्त किया जाकर अपील पत्रावली पुनः बाजवा नम्बर पर ली गई।

2. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय मे प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर चक 1 एलजीडब्ल्यू के प.न. 61/277 मु.न. 22 कि.न. 1 व 10 मे 2–2 बिस्वा रास्ता या चक 1 एलजीडब्ल्यू के प.न. 60/277 मु.न. 21 कि.न. 21 ता 23 मे 2–2 बिस्वा रास्ता स्वीकृत किये जाने का निवेदन किया गया था परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट का प्रार्थना पत्र बाबत रास्ता स्वीकृति खारिज कर दिया गया। जिस प.न. व कि.न. मे से रास्ता की मांग की गई है उन कि.न. व प.न. की जमाबंदी व नक्शा प्रस्तुत किया गया है तथा अप्रार्थी सं. 5 ने भी अपने जवाब मे प.न. 61/277 मु.न. 22 कि.न. 1 व 10 मे रास्ता चालू होने व उसी कि.न. मे रास्ता स्वीकृत करने की अनुशंषा की है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी आधार पर अपीलांट प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। अधिवक्ता अपीलांट ने बहस के अन्त मे कथन कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के साथ संलग्न दस्तावेज सनद संख्या 25300 दिनांक 19.05.85 बहक वजीरा पुत्र भूपा व प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबंदी चक 1 एलजीडब्ल्यू बहक बिरमासिंह बैशाखासिंह सम्वत 2072–75 प्रस्तुत किये गये है जिसके अनुसार चक 1 एलजीडब्ल्यू के प.न. 60/277 कि.न. 14, 17 ता 23 कुल 8 बीघा व प.न. 60/278 कि.न. 1 ता 3, 8 ता 13 कुल 12 बीघा व प.न. 59/277 कि.न. 16 ता 18, 24 व 25 कुल 5 बीघा की खातेदारी सनद वजीरा वल्द भूपा के नाम से जारी की गई थी तथा उक्त भूमि वर्तमान मे रेस्पो0 सं. 3 व 4 के नाम से खातेदारी दर्ज है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 17.02.2007 को निरस्त किया जावें।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1 व 2 ने अपनी बहस में अपील मे वर्णित तथ्यो का खण्डन करते हुए कथन किया कि अपीलांट प.न. 60/277 कि.न. 21, 22, 25 मे से होकर आना जाना करते है व आज भी मौका पर रास्ता चालू है। अप्रार्थी की भूमि प.न. 60/277 कि.न. 4, 5 मे रास्ता व प.न. 61/277 कि.न. 1, 2, 3 मे रास्ता व खाला है। दोनो स्वीकृतशुदा है। प्रार्थीगण अप्रार्थीगण की भूमि मे आना जाना नही करते है। कि.न. 1 व 10 मे रास्ता स्वीकृत किये जाने बजाय कि.न. 21 ता 23 मे रास्ता स्वीकृत किया जाना सही है। क्योंकि कि.न. 1 व 10 मे रास्ता स्वीकृत कर दिया जाता है तो रेस्पो0 की भूमि दो टुकडो मे विभक्त हो जायेगी। अतः अपील अपीलांट खारिज योग्य होने के कारण खारिज की जावें।

5. विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 3 व 4 ने अपनी बहस में अपील मे वर्णित तथ्यो का खण्डन करते हुए कथन किया कि अपीलांट रेस्पो सं. 1 व 2 की भूमि प.न. 61/277 मु.न. 22 के कि.न. 1 व 10 से आना जाना करते थे। कि.न. 1 व 10 से ही अपीलांट को नजदीक कम दूरी पर एवं छोटा एवं सुविधाजनक रास्ता प्राप्त हो सकता है। कि.न. 21 ता 23 मे पहले से स्वीकृतशुदा खाला है उक्त रास्ता मंजूर होने से रेस्पो0 की भूमि के दो टुकडे हो जायेगें। अधिवक्ता रेस्पो0 ने दौराने बहस अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी पर कथन किया कि प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेज अधीनस्थ न्यायालय मे प्रार्थना पत्र रास्ता के साथ पेश करने चाहिए थे उक्त दस्तावेज अपीलांट अपील मे प्रस्तुत कर रहा है। दस्तावेज पूर्व पेश नही करने का कोई समुचित कारण दर्ज नही किया है इसलिए प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उक्त दस्तावेजो को रिकार्ड पर लेना उचित नही है। इसलिए प्रार्थना पत्र अपीलांट खारिज किया जावें।

6. बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलाण्ट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के साथ प्रस्तुत दस्तावेज प्रमाणित प्रतिलिपि सनद संख्या 25300 बहक वजीरा पुत्र भूपा चक 1 एलजीडब्ल्यू व प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबंदी चक 1 एलजीडब्ल्यू खाता सं. 67 बहक बिरमा, बैशाखा पि. वजीरा अपील के निस्तारण मे सहायक दस्तावेज होने के कारण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी स्वीकार किया जाकर प्रस्तुत दस्तावेज रिकार्ड पर लिये जाते है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन करने के उपरांत निष्कर्ष है कि अपीलांट के कथनानुसार चक 1 एलजीडब्ल्यू के प.न. 61/277 मु.न. 22 कि.न. 1 व 10 मे 2–2 बिस्वा रास्ता या चक 1 एलजीडब्ल्यू के प. न. 60/277 मु.न. 21 कि.न. 21 ता 23 मे 2–2 बिस्वा रास्ता स्वीकृत किये जाने का निवेदन किया गया था परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट का प्रार्थना पत्र बाबत रास्ता स्वीकृति खारिज कर दिया गया। जबकि रेस्पो0 सं. 1 व 2 के कथनानुसार अपीलांट प.न. 60/277 कि.न. 21, 22, 25 मे से होकर आना जाना करते है व आज भी मौका पर रास्ता चालू है। अप्रार्थी की भूमि प.न. 60/277 कि.न. 4, 5 मे रास्ता व प.न. 61/277 कि.न. 1, 2, 3 मे रास्ता व खाला है। दोनो स्वीकृतशुदा है। कि.न. 1 व 10 मे रास्ता स्वीकृत किये जाने बजाय कि.न. 21 ता 23 मे रास्ता स्वीकृत किया जाना सही है। क्योंकि कि.न. 1 व 10 मे रास्ता स्वीकृत कर दिया जाता है तो रेस्पो0 की भूमि दो टुकडो मे विभक्त हो जायेगी। रेस्पो0 सं. 3 व 4 के कथनानुसार अपीलांट रेस्पो सं. 1 व 2 की भूमि प.न. 61/277 मु.न. 22 के कि.न. 1 व 10 से आना जाना करते थे। कि.न. 1 व 10 से ही अपीलांट को नजदीक कम दूरी पर एवं छोटा एवं सुविधाजनक रास्ता प्राप्त हो सकता है। कि.न. 21 ता 23 मे पहले से स्वीकृतशुदा खाला है उक्त रास्ता मंजूर होने से रेस्पो0 की भूमि के दो टुकडे हो जायेगें।

7. उपरोक्त परिस्थितियों मे चूंकि अपीलांट को अपनी कृषि भूमि मे आने जाने हेतु रास्ता की आवश्यकता है। अपीलांट द्वारा चाहे गये चक 1 एलजीडब्ल्यू के प.न. 61/277 मु.न. 22 कि. न. 1 व 10 मे 2–2 बिस्वा रास्ता स्वीकृत किया जाता है तो रेस्पो0 सं. 1 व 2 की भूमि दो भागो मे विभक्त हो जायेगी तथा चक 1 एलजीडब्ल्यू के प.न. 60/277 मु.न. 21 कि.न. 21 ता 23 मे 2–2 बिस्वा स्वीकृत रास्ते के साथ साथ खाला भी है जिसके कारण सिंचाई व्यवधान होगा एवं रेस्पो0 सं. 3 व 4 की भूमि दो भागो मे भी विभक्त हो जायेगी। यह तथ्य भी साबित है कि अपीलांट की भूमि को पहुंचने हेतु कोई रिकार्डेड रास्ता नही है। रास्ते की परम आवश्यकता को मध्यनजर रखते हुए चक 1 एलजीडब्ल्यू के प.न. 60/277 के कि.न. 4, 7, 14 मे 2–2 बिस्वा रास्ता स्वीकृत किया जाना उचित प्रतीत होता है। उक्त रास्ता स्वीकृत किये जाने मे रेस्पोडेंटस के अधिवक्तागण द्वारा दौराने बहस अपनी सहमति जाहिर की गई। ऐसी स्थिति मे अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश को निरस्त किया जाता है तथा अपील मे पूर्व मे पारित निर्णय दिनांक 29.09.2015 मे संशोधन कर चक 1 एलजीडब्ल्यू के प.न. 60/277 के कि.न. 4, 7, 14 मे 2–2 बिस्वा रास्ता स्वीकृत किया जाना न्यायोचित है।

8. अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 17.02.2007 को निरस्त किया जाता है तथा अपील मे पूर्व मे पारित निर्णय दिनांक 29.09.2015 मे संशोधन करते हुए चक 1 एलजीडब्ल्यू के प.न. 60/277 मु.न. 21 के कि.न. 21, 22, 23 के स्थान पर चक 1 एलजीडब्ल्यू के प.न. 60/277 के कि.न. 4, 7 मे पश्चिमी सीमा पर उतर से दक्षिण व कि.न. 14 मे उतरी सीमा पर पश्चिम से पूर्व प्रत्येक कि.न. 2–2 बिस्वा रास्ता स्वीकृत किया जाता है। रास्ता भूमि के एवज मे अपीलांट द्वारा रेस्पो0 सं. 1 व 2 को 4 बिस्वा भूमि एवं रेस्पो0 सं. 3 व 4 को 2 बिस्वा भूमि चिपती हुए आराजी मे से दी जावेगी। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड मे अंकन किया जावें। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाई जावें। पत्रवाली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 05.01.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(हरभान मीणा आर.ए.एस.)
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़